3

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय, डूडा)

आदेश

मुंगेर नगर निगम क्षेत्रान्र्तगत नवनिर्मित इनडोर स्टेडियम, परिसर के पश्चिम मैदान का विकास सह सौन्दर्यीकरण अत्यंत आवश्यक है। दिनांक 22.05.2013 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इनडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया जाना है। अतएव मुख्यमंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत जिला संचालन समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर के पत्रांक 62 दिनांक 06.05.13 के द्वारा प्राप्त योजना की तकनीकि स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति अग्रलिखित शर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है तथा निम्नवत राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। साथ ही कार्य की महत्ता के आलोक में स्थानीय प्रचार प्रसार कर निविदा के माध्यम से कार्य कराया जाएगा।

क0	योजना का नाम	नगर निकाय का	तक0 स्वी0 की राशि	प्रशा0 स्वी0 की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1	नवनिर्मित इनडोर स्टेडियम, परिसर के पश्चिम भाग में मैदान का विकास सह सौन्दर्यीकरण	नगर निगम, मुंगेर।	479300.00	479300.00	479300.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0– 479300.00 (चार लाख उनासी हजार तीन सौ) रू0 मात्र।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्क्लन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
4. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत किया जाय।
5. कार्य पूर्ण कराकर योजना स्थल का फोटो एवं एम0बी0 डूडा कार्यालय को समर्पित करेंगे।
6. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
7. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर साईन बोर्ड कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्क्लित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
8. योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक फोटो रंगीन मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
9. योजना का कार्य 22.05.2013 के पूर्व अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
10. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
11. कार्यकारी एजेंसी इस योजना मे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सूनिश्चित कर लेंगे कि योजना का स्थल सरकारी जमीन हो एवं वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नही कराया जा रहा है।

ह0

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 8 /डूडा, दिनांक 7.5.13

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक जिला योजना कार्यालय से प्राप्त कर लें।

प्रतिलिपि– नाजिर जिला योजना कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर को उपलब्ध करा दे।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।